

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक फरवरी, 2015

पत्र संख्या-1/एल01-10-14/2009 गृ0आ0 /डॉ0 सिद्धार्थ मोहन जैन, भा0पु0से0 (2006), पुलिस अधीक्षक, नालन्दा को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक दिनांक 22.02.2015 से 18.03.2015 तक कुल 25 (पच्चीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री जैन के अवकाश अवधि में श्री निशांत तिवारी, समादेष्टा, बि0सै0पु0-01, पटना अपने कार्यों के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नालन्दा के प्रभार में भी रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(कौशलेन्द्र पाठक)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-14/2009 गृ0आ0

/पटना,

दिनांक फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-14/2009 गृ0आ0

/पटना,

दिनांक फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-14/2009 गृ0आ0

/पटना,

दिनांक 18-फरवरी, 2015

प्रतिलिपि:- अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ डॉ0 सिद्धार्थ मोहन जैन, भा0पु0से0 (2006), पुलिस अधीक्षक, नालन्दा/श्री निशांत तिवारी, समादेष्टा, बि0सै0पु0-01, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।